

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकड्डा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 123 / 2020-21

लेख्य प्रकार- संदेहात्मक जमाबंदी

3/11/2020

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लंबित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नये भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखके अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निर्देशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0म0 नीति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुदेश/निर्देश के अनुपालन में गै0 म0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जमाबंदियों की जांच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 म0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा	जमाबंदीदार	पंजी-2 का
				रैयत का नाम	पृ0सं0/भाग
कोमहरा 34 01	-		0.46 1/2	बचन महारा पिन 112912 461	104/2

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।

अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/2020 को उपस्थापित करें

अंचल अधिकारी  
बरकड्डा

23/11/2020

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जांच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0 104/1 बनाम बचन महारा पिन 112912 को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही को भेजें।

अंचल अधिकारी  
बरकड्डा

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- खेतन गहटा पिठ मिश्री बहटा

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- वॉ २७२२

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>कोनडापुडा</u>	<u>११</u>	<u>०१</u>	<u>-</u>	<u>०.५६ 1/2</u>

3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या.....1..... पृष्ठ सं०-...104... पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 1978-79

5. खतियान कें अनुसार उपरोक्त भूमि कें खातेदार का नाम :- वॉ २७२२

6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी कें आदेश से जमाबंदी कायम की गई है ब्राह्मण देव नदी

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम -

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूवदावस्ती - )

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (शुल्क जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी-11

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
	<u>5649899</u>	<u>20/12/011</u>	<u>2009-10</u>

*(Handwritten signature and date)*  
28/11/2011



संदिग्ध/अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला  
चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - हजायपुर / 189161
2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम - वैद्यन महाराज जिला-मिर्जापुर 1891  
ख) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी-

नॉज्जा	थाना न०	खाला सं०	खेत्तरा सं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किरम जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>पुनहण</u>	<u>99</u>	<u>01</u>	<u>-</u>	<u>0.46 1/2</u>	<u>7029121</u>	<u>3.</u>

खतियानी में एक गैर-रकबा का किरम जमीन दर्ज है। किरम जमीन में किरम जमीन-मुक्तकरी में किरम जमीन दर्ज है।

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप - पट्टा
4. अवैध जमाबन्दी पंजी II में कब से संधारित है - 1978-79
5. उक्त जमाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम -  
(पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।
6. नामान्तरण/दाखिल --खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी के नामलों में मूल जमाबन्दी रैयत की विवरणी-
7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार -  
i) अनियमित सादा हुकुमनामा  
ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार)  
iii) अवैध भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ)
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादत पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रूपये कम या इससे अधिक)
9. अवैध जमाबन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है:-  
i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से -  
ii) अंचल / अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से -  
iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामांतरण पंजी से - पंजी II
10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है?
11. क्या दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? नहीं
12. वर्ष 1954-55 में हुए फिर्ख बुझारत पंजी में दखल कच्चा अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं
13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अमुशंसा सहित - नहीं
14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरान्त मन्त्राय सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - नहीं

अंचल अधिकारी भूमि सुधार उपसभाहर्ता अनुमंडल पदा० अपर सनाहर्ता उपायुक्त 23/11/2020